



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

थाना कदौरा में मु०अ०सं० 69/16 व 70/16 (वाद संख्या – 81/16, 82/16, 238/2016) धारा 147/148/149/323/504/506/302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. जसीम 2. इरफान 3. सफी उल्लाह 4. इमरान 5. नब्बन 6. साबान 7. धोपल (मृत्यु) समस्त नि०गण मवई अहीर थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 18.09.2023 को मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश उरई, जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त 06 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 11.03.2016 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 07 वर्ष 06 माह में) अभियुक्तगण को दण्डित किया गया।



DGC क्रिमिनल लखन लाल
निरंजन



कोर्ट पैरोकार अखलेश

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice